

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/211872/SBL/SAMBHAL/1832/CFO

दिनांक : 31-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स KAINAT INTERNATIONAL SCHOOL पता 0,MO. BUDAUN DARWAJA SAMBHAL,SAMBHAL तहसील - SAMBHAL प्लॉट एरिया 2324.64 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 4656.15 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 2 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
KAINAT INTERNATIONAL SCHOOL	4	1	14.10 mt.
RESIDENCE	4	0	14.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स KAINAT INTERNATIONAL SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 06-08-2026 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री KHWAJA MOHD RAFI के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 07-08-2026 से 06-08-2031 तक 5 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स KAINAT INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स KAINAT INTERNATIONAL SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : एफएसएसओ श्री सनद कुमार द्वारा मानचित्र/अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया तो प्रश्रुत भवन बेसमेंट, भूतल, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तल पर निर्मित है। बेसमेंट का प्रयोग स्टोर के रूप में किया जा रहा है बेसमेंट का प्रयोग कक्षाओं के लिए अनुमत्य नहीं होगा। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। यदि सम्बन्धित सत्ताप्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। एफएसएसओ कि संस्तुति आख्या के आधार पर निर्गत।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

KRISHNA KANT OJHA

66E4805FBAC646EDE251B5592A2382B8FD232828

07-08-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 07-08-2026

स्थान : SAMBHAL

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.